समाहरणालय, नालन्दा।
(जिला भू–अर्जन कार्यालय)
प्रपत्र VII
समाहर्ता/अपर समाहर्ता–सह–समुचित सरकार
प्रारम्भिक अधिघोषणा
(अधिनियम–30/2013 की धारा–19(1) के अधीन)

चूँकि बिहार सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ, यथा परियोजना चंडी–सरमेरा राज्य उच्च पथ–78 निर्माण हेतु ग्राम–भण्डारी, थाना–बिहार, थाना सं0–17, अंचल–रहुई, जिला–नालन्दा में कुल 1.50 एकड़ यानि 0.607042 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू–खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 1.50 एकड़ यानि 0.607042 हेक्टेयर है और जो ग्राम–भण्डारी, थाना–बिहार, थाना सं0–17 अंचल–रहुई जिला–नालन्दा में है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र0 स0	खाता सं0	सर्वेक्षण भूखंड संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	194	55	निजी	धनहर	0.07	मनीला देवी पति रामलगन यादव सा0–भण्डारी	58	1298	56	54
2	194	56	निजी	धनहर	0.14	बालेश्वरी देवी पति बुन्दी यादव सा0–भण्डारी	57	1298	57	55
3	194	57	निजी	धनहर	0.19	बालेश्वरी देवी पति बुन्दी यादव सा0–भण्डारी	59 69	1298	70	56 58
4	194	70	निजी	धनहर	0.15	छोटे यादव वो युगल यादव वल्द रामजी यादव सा0–भण्डारी	69	1298	71	57
5	194	71	निजी	धनहर	0.195	छोटे यादव वो युगल यादव वल्द रामजी यादव सा0–भण्डारी	68	1298	72	70
6	194	74	निजी	धनहर	0.0475	रामदेव रविदास वल्द भिखारी रविदास सा0–काजीचक	77	73	76	72
					0.0575	भिखारी मोची वल्द भत्तु मोची सा0–काजीचक				
7	194	76	निजी	धनहर	0.07	राजनंदन प्रसाद वगैरह वल्द भत्तु यादव सा0–भण्डारी	77 86	75	89	74
8	175	107	निजी	धनहर	0.08	रूदल यादव वल्द महावीर यादव सा0–भण्डारी	108	106	112	92
9	175	113	निजी	धनहर	0.05	बिन्देश्वर प्रसाद यादव वल्द महावीर यादव सा0–भण्डारी	112	104	114 115, 116	106
10	194	116	निजी	धनहर	0.01	शिवल गोप वो बृज गोप वो चॉदो गोप वल्द सौदी गोप, मल्लीकचक	112	115	119	113
11	98	820	निजी	धनहर	0.44	बिन्देश्वरी यादव वो कपिल यादव पिता स्व0 प्यारे यादव साकिन जगनंदनपुर	819	822	819	821

यह अधिघोषणा हितवद्ध व्यक्यिों को आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं0–30/2013 की धारा–15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जॉच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हत किये गये है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

ग्राम–भण्डारी, थाना–बिहार, थाना सं0–17, अंचल–रहुई, जिला–नालन्दा क्षेत्रफल 1.50 एकड़ यानि 0.607042 हेक्टेयर उपर्युक्त भूमि या किसी उपर्युक्त भूमि के विशेष भाग में पडे कोयला खदान, लौह–पत्थर, स्लेट या अन्य खनिज है, ऐसे भागों मे पडे हुए खदान एवं खनिज जिसे उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की गई है परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाया अथवा उपयोग किए जाने की अपेक्षा है को छोडकर, आवश्यक नही है।

जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, नालन्दा के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैः–

प्रशासक–सह–अपर समाहर्त्ता, नालन्दा द्वारा पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन योजना तैयार किया गया। प्रस्ताव को समाहर्त्ता, नालन्दा द्वारा अनुमोदन करते हुए आयुक्त–सह–पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, पटना प्रमंडल पटना को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है। आयुक्त–सह–पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन, पटना प्रमंडल पटना द्वारा स्वीकृति दी गयी जिसकी सूचना पत्र संख्या–283/गो0, दिनांक–11.05.2017 से सूचित है कि सरकार द्वारा भूमि अर्जन के फलस्वरूप अनैच्छिक रूप से विस्थापित होने बाले परिवार/व्यक्तियों की संख्या शून्य है।

ह0–
समाहर्त्ता,
नालन्दा।

ज्ञापांक 1062/ दिनांक 13/05/2017

प्रतिलिपिः– निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को स्थानीय भाषा के दो समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित करने और प्रकाशित संस्करण को इस कार्यालय एवं जिला भू–अर्जन कार्यालय नालन्दा को यथाशीघ्र भेजने हेतु।

प्रतिलिपिः– उप समाहर्त्ता प्रभारी सामान्य शाखा, नालन्दा बिहारशरीफ को जिला गजट के अगले साधारण/असाधारण अंक में प्रकाशित कराने और इसकी (10) दस अतिरिक्त प्रतियॉ जिला भू–अर्जन कार्यालय, नालन्दा को प्रेषित करने हेतु।

प्रतिलिपिः– जिला अवर निबंधक, नालन्दा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पेषित।

प्रतिलिपिः–सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी(NIC)नालन्दा को जिला के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

प्रतिलिपिः– अपर समाहर्ता, नालन्दा/अनुमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिहारशरीफ/अंचल अधिकारी, रहुई एवं संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पठ पर प्रकाशित हेतु

प्रतिलिपिः– निदेशक, भू–अर्जन, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

समाहर्त्ता,
नालन्दा।